सत्यमेव जयते

बिहार सरकार

वित्त विभाग

बाल कल्याण योजनाओं के लिए बजट

2019-20

2019

प्राक्कथन

राज्य की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का है, राज्य सरकार उनके कल्याण और विकास के लिए वचनबद्ध है। यह विवरण बजट प्रावधान की उन योजनाओं का संकलन है जो मुख्यतः बच्चों के कल्याण के लिए हैं । ये शैक्षिक परिव्ययों, बालिकाओं के लिए विशिष्ट योजनाओं, स्वास्थ्य, तथा बाल सुरक्षा आदि के लिए प्रावधानों को इंगित करते हैं ।

बाल कल्याण योजनाओं के लिए बजट से संबंधित विवरणी की शुरूआत वर्ष 2013-14 में की गयी थी । वित्तीय वर्ष 2019-20 में निम्नलिखित विभागों द्वारा बाल कल्याण योजनाओं पर व्यय किए जाने हेतु बजट प्रावधान का उल्लेख किया जा रहा हैः-

1. कला संस्कृति एवं युवा विभाग ।
2. पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ।
3. शिक्षा विभाग ।
4. समाज कल्याण विभाग ।
5. श्रम संसाधन विभाग ।
6. अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग ।
7. स्वास्थ्य विभाग ।
8. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ।

बच्चों की आबादी में 0-18 वर्ष तक की उम्र वाली सारी आबादी शामिल है । भारत दुनिया का दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है और यहाँ 2011 जनगणना के अनुसार 39 प्रतिशत बच्चे 0 से 18 वर्ष की आयु वर्ग में हैं । वहीं बिहार में आबादी का 48 प्रतिशत हिस्सा बच्चों का है । भारत की कुल बच्चों की आबादी में बिहार के बच्चों का 11 प्रतिशत हिस्सा है । वर्ष 2001 से 2011 के बीच बच्चों की आबादी में 20.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।

वर्ष 2019-20 में बाल कल्याण बजट कुल राज्य बजट (200501.01 करोड़ रु.) का 10.42 प्रतिशत है । राज्य सरकार ने 2013-14 से बाल बजट बनाने की प्रक्रिया की शुरूआत की । भारत और बिहार के बच्चों से संबंधित कुछ संकेतक इस प्रकार है :-

भारत एवं बिहार के बच्चों के कुछ तुलनात्मक संकेतक

क्रम	संकेतक	भारत		बिहार	
		पुरूष	महिला	पुरूष	महिला
1	जनसंख्या (करोड़) (2011)	62.3	58.7	5.4	4.9
2	जनसंख्या (करोड़) (2011) (0-6 वर्ष)	8.6	7.9	1.0	0.9
3	जनसंख्या (करोड़) (2011) (07-18 वर्ष)	16.2	14.6	1.6	1.4
4	लिंग अनुपात (सभी आयु वर्ग) (2011)	1000	943	1000	918
5	बाल लिंग अनुपात (0-6 वर्ष) (2011)	1000	919	1000	935
6	बाल लिंग अनुपात (07-18 वर्ष) (2011)	1000	902	1000	874
7	बाल लिंग अनुपात (15-18 वर्ष) (2011)	1000	876	1000	774
8	नवजात शिशु मृत्यु दर (प्रति हजार) (2017)	32	34	34	37
9	5 वर्ष के पहले मृत्यु की दर (2017)	36	39	39	43
10	5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जिनका जन्म निबंधित है (%) (2015-16)	79.4	80.1	58.7	62.9

11	एक्सक्लूसिव स्तनपान करने वाले 6-23 महीने के बच्चे (%) (2015-16)	3	2.8	2.5	3.0
12	12-23 महीने के बच्चे पूरी तरह से प्रतिरक्षित (बीसीजी, खसरा और 3 डोज प्रत्येक पोलियो और डीपीटी (%) (2015-16)	62.1	61.9	61.7	61.7
13	6-59 महीने के बच्चे जिन में रक्त हीनता है (<11.0 g/dl) (%) (2015-16)	58.3	58.6	32.0	60.0
14	5 साल से कम उम्र के बच्चे जिनमें बौनापन है (वजन के अनुपात में लम्बाई) (%) (2015-16)	21.9	20.1	21.2	20.4
15	5 साल से कम उम्र के बच्चे जिनका वजन कम है (वजन के अनुपात में उम्र) (%) (2015-16)	36.1	35.3	42.8	44.9
16	साक्षरता दर (07-18 वर्ष) (2011)	89.7	86.8	81.7	76.3
17	साक्षरता दर (2011)	80.9	64.6	71.2	51.5
18	सकल नामांकन अनुपात (2016-17) (I-VIII)	91.42	95.94	94.55	105.82
19	सकल नामांकन अनुपात (2016-17) (IX-X)	78.51	80.29	70.09	84.57
20	सकल नामांकन अनुपात (2016-17) (XI-XII)	54.93	55.91	28.48	29.24
21	कुल कर्मी (05-14 वर्ष) (करोड़) (2011)	13.6	12.4	1.5	1.4

स्रोत : 1-6, 15, 16 एवं 20 जनगणना (भारत सरकार), 7, 8 प्रतिदर्श निबंधन प्रणाली, 9-14 राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, 17-19 डाइस

यदि 2019-20 एवं 2018-19 के विभागावार आवंटन को देखा जाय तो पिछड़ा एवं अतिपिछड़ा, समाज कल्याण, श्रम कल्याण, अनुसूचितजाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभागों में पिछले वर्ष की अनुपात में भारी मात्रा में वृद्धि हुई है । साथ ही अगर 2017-18 के वास्तविक खर्च को देखें तो सबसे ज्यादा बच्चों पर खर्च, शिक्षा विभाग तथा समाज कल्याण विभाग द्वारा की गई है ।

यदि 2018-19 के संशोधित अनुमान एवं 2019-20 के बजट को देखा जाए तो कुल बजट मे 172780.72 लाख रु० की वृद्धि है ।

बाल कल्याण योजनाओं के लिए बजट प्रावधान- विभागवार विवरणी

(राशि लाख रुपये में)					
क्रम सं०	विभाग का नाम	वास्तिविकी 2017-18	बजट 2018-19	संशोधित अनुमान 2018-19	बजट 2019-20
1	2	3	4	5	6
1	कला संस्कृति एवं युवा विभाग	696.47	1350.00	1200.00	1350.00
2	पिछड़ा एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	125730.72	128487.72	163018.97	169190.65
3	शिक्षा विभाग	1251143.54	1808923.14	1364202.21	1473501.69
4	समाज कल्याण विभाग	219446.26	298950.97	286161.74	342171.94
5	श्रम संसाधन विभाग	188.37	302.89	796.11	752.67
6	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	44111.03	70821.67	76886.82	79566.68
7	स्वास्थ्य विभाग	6210.88	26150.16	20327.06	18340.00
8	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	4246.64	5200.00	3600.00	4100.00
	कुल योग-	**1651773.91**	**2340186.55**	**1916192.91**	**2088973.63**

नोट :- 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं में विभागवार उपशीर्षवार प्रावधानित राशि संबंधित उपशीर्ष के कुल प्रावधानित राशि से कम भी हो सकती है ।

बाल कल्याण योजनाओं के लिए बजट प्रावधान- विभागवार विवरणी
कला संस्कृति एवं युवा विभाग

(राशि लाख रुपये में)

क्र0 सं0	विपत्र कोड	स्कीम का नाम	वास्तिविकी 2017-18	बजट 2018-19	संशोधित बजट 2018-19	बजट 2019-20	स्कीम व्यय की प्रकृति	अभ्युक्ति (स्कीम की संक्षिप्त जानकारी)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	08-2204001040001	विद्यालय खेलकूद	356.87	650.00	500.00	500.00	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	**वर्ष 2018-19 की उपलब्धि** विद्यालय खेल के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिता हेतु 14, 17 एवं 19 वर्ष के अन्दर आयुवर्ग के छात्र/छात्राओं को सम्यक प्रशिक्षण के उपरांत राष्ट्रीय विद्यालय खेल प्रतियोगिताओं में सहभागिता सुनिश्चित की गयी। **वर्ष 2019-20 का लक्ष्य** विद्यालय खेल के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिता हेतु 14, 17 एवं 19 वर्ष के अन्दर आयुवर्ग के छात्र/छात्राओं को सम्यक प्रशिक्षण के उपरांत राष्ट्रीय विद्यालय खेल प्रतियोगिताओं में सहभागिता का लक्ष्य हैं।
2	08-2204001040102	मुख्यमंत्री खेल विकास योजना अंतर्गत खेल प्रतियोगिता	339.60	700.00	700.00	850.00	राज्य स्कीम	**वर्ष 2018-19 की उपलब्धि** मुख्यमंत्री खेल विकास योजना के अंतर्गत 14 वर्ष से कम उम्र के बालक बालिकाओं हेतु एकलव्य आवासीय खेल प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण दिया गया। **वर्ष 2019-20 का लक्ष्य** प्रशिक्षण केन्द्रों में आधुनिक खेल प्रशिक्षण के माध्यम से राज्य/राष्ट्रीय/अंतराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को तैयार करने का लक्ष्य है।
		योग-	**696.47**	**1350.00**	**1200.00**	**1350.00**		

बाल कल्याण योजनाओं के लिए बजट प्रावधान- विभागवार विवरणी

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

(राशि लाख रुपये में)

क्र0 सं0	विपत्र कोड	स्कीम का नाम	वास्तविक 2017-18	बजट 2018-19	संशोधित बजट अनुमान 2018-19	बजट 2019-20	स्कीम व्यय की प्रकृति	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	11-2225032770010	पिछड़ी जातियों के लिये बारह कन्या आवासीय उच्च विद्यालय	1084.18	1259.00	1227.00	1400.65	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्राओं के लिए 12 आवासीय कन्या उच्च विद्यालय संचालित है, जिसमें वर्ग 6 से 12 की कक्षाएं संचालित की जाती है।
2	11-2225032770002	छात्रावासों का संधारण	0.00	131.33	131.33	0.00	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	वर्त्तमान में इस योजना का कार्यान्वयन अन्य विपत्र कोड से संचालित किया जा रहा है।
3	11-2225031970101	उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति (197 ब्लॉक पंचायत)	7859.60	10395.00	10395.00	10400.00	राज्य स्कीम	लगभग 8,67,300 छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति दिया जाना संभावित है।
4	11-2225031980101	प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय छात्रवृत्ति (198 ग्राम पंचायत)	15235.93	19855.00	19855.00	19900.00	राज्य स्कीम	लगभग 16,58,000 छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति दिया जाना संभावित है।

क्र0 सं0	विपत्र कोड	स्कीम का नाम	वास्तविक 2017-18	बजट 2018-19	संशोधित बजट अनुमान 2018-19	बजट 2019-20	स्कीम व्यय की प्रकृति	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	11-2225032770101	प्री-मैट्रिक/पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति/मेधावृत्ति/छात्रवृक्तिा मोनोट्रिंग/प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण योजना/सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना/छात्रावास अनुदान योजना/कौशल विकास प्रशिक्षण योजना।	90625.21	93847.39	108802.66	114550.00	राज्य स्कीम	1. प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत रू0 654.52 करोड़ व्यय करते हुए लगभग 54,54,000 छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति दिया जाना संभावित है। 2. पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत रू0 286.98 करोड़ व्यय करते हुए लगभग 3,00,000 छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति दिया जाना संभावित है। 3. मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना के तहत रू0 95.00 करोड़ व्यय करते हुए लगभग 95,000 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया जाना संभावित है। 4. मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना के तहत रू0 60.00 करोड़ व्यय करते हुए लगभग 60,000 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया जाना संभावित है। 5. मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत रू0 6.00 करोड़ व्यय करते हुए लगभग 900 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया जाना संभावित है। 6. मुख्यमंत्री छात्रावास अनुदान योजना के तहत रू0 4.8 करोड़ व्यय करते हुए लगभग 4,000 छात्र/छात्राओं को प्रतिमाह लाभान्वित किया जाना संभावित है।

क्र0 सं0	विपत्र कोड	स्कीम का नाम	वास्तविक 2017-18	बजट 2018-19	संशोधित बजट अनुमान 2018-19	बजट 2019-20	स्कीम व्यय की प्रकृति	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	11-2225032770302	अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास निर्माण छात्र/छात्रा	0.00	0.00	150.00	300.00	केन्द्र प्रायोजित स्कीम	दो बालक एवं दो बालिका छात्रावास का निर्माण पर राशि का व्यय किया जायेगा ।
8	11-2225032770312	डी०एन०टी० प्री-मैट्रिक/पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	0.00	0.00	53.33	50.00	केन्द्र प्रायोजित स्कीम	अनधिसूचित, घूमंतु एवं अर्द्धघूमंतु जातियों का सर्वेक्षण किया जा रहा है जिसे कर्णांकित राशि से प्री-मैट्रिक/पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति दिया जाएगा।
9	11-2225032770202	अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास निर्माण छात्र/छात्रा	0.00	0.00	600.00	900	केन्द्र प्रायोजित स्कीम	दो बालक एवं दो बालिका छात्रावास के निर्माण पर राशि का व्यय किया जायेगा ।
10	11-2225032770214	प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति (50:50) छात्रवृत्ति	0.00	1250.00	1250.00	1100.00	केन्द्र प्रायोजित स्कीम	लगभग 95,800 छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति दिया जाना संभावित है।
11	11-2225032770314	प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति (50:50)	0.00	1250.00	2762.00	1150.00	केन्द्र प्रायोजित स्कीम	लगभग 95,800 छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति दिया जाना संभावित है।
12	11-2225032770215	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तिा (शत प्रतिशत)	5676.71	0.00	7792.65	9290.00	केन्द्र प्रायोजित स्कीम	लगभग 80,000 छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति दिया जाना संभावित है।
13	03-2259800510118	आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास भवनों का निर्माण	3454.77	0.00	9500.00	9500.00	राज्य स्कीम	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय+2 उच्च विद्यालय एवं छात्रावास मरम्मति एवं निर्माण/संधारण पर व्यय संभावित है।
		योग	**125730.72**	**128487.72**	**163018.97**	**169190.65**		

बाल कल्याण योजनाओं के लिए बजट प्रावधान - 2019-20
विभाग - शिक्षा विभाग

(राशि लाख रूपये में)

क्र0 सं0	विपत्र कोड	स्कीम का नाम	वास्तविकी 2017-18	बजट 2018-19	पुनरीक्षित 2018-19	बजट 2019-20	स्कीम व्यय की प्रकृति	अभ्युक्ति (योजना की संक्षिप्त जानकारी)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	21-2202011120203 21-2202011120303 21-2202017890209 21-2202017960210 21-2202017960310 21-2202017890306	प्राथमिक शिक्षा हेतु पोषणगत समर्थन का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एम0 डी0 एम0)	181263.17	217146.23	133887.74	204891.08	केन्द्र प्रायोजित स्कीम	सरकारी विद्यालयों में बच्चों को पोषणयुक्त आहार के लिए कक्षा 1 से 8 तक के सभी कोटि के छात्र/छात्राओं को पका पकाया भोजन उपलब्ध कराया जाता है। जिससे सभी छात्र/छात्राओं के बीच समानता की भावना विकसित होती है तथा साथ ही उनमें स्वस्थ्य मानसिक एवं शारीरिक क्षमता का विकास होता है।
2	21-2202010010107	किलकारी	398.00	400.00	400.00	650.00	राज्य स्कीम	किलकारी द्वारा 9 से 16 आयु वर्ग तक बच्चों की सृजनशीलता को उभारने हेतु कार्यक्रम की संक्षिप्त विवरणी निम्नवत है :- (1) नियमित प्रशिक्षण - शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय गायन, चित्रकला, क्राफट, मूर्तिकला, कराटे, बैडमिंडन, बॉल बैडमिंटन, शतरंज, विज्ञान, लेखन, नाटक आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है। (2) प्रकाशन-किलकारी के बच्चों द्वारा हर माह बाल किलकारी नामक मासिक अखबार बच्चों से संबंधित किताबें बोशर, मॉड्यूल इत्यादि सामग्री की प्रकाशन की योजना। (3) गुल्लक (बच्चा बैंक)-बच्चों द्वारा बचत की जाने वाली राशि की जमा योजना। (4) फोटाग्रॉफ - बच्चों में देखने-समझने के नजरियों को विकसित करने की योजना। बिहार की गुफाओं का शैक्षणिक भ्रमण कर फोटोग्राफी कर पुस्तक का स्वरूप देने की कला से अवगत हो रहे हैं। (5) चलंत पुस्तकालय - बाल भवन की गतिविधियों से सरकारी विद्यालयों एवं स्लम के बच्चों को जोड़नें की योजना। (6) पुस्तकालय (मस्ती की पाठशाला)-बच्चों के बौद्धिक एंव शैक्षणिक स्तर को बढ़ाने के लिए पुस्तकालय का संचालन किया जा रही है। (7) किलकारी की शेखाएं-प्रमंडल स्तर पर 2 बाल भवनों गया तथा भागलपुर की स्थापना, जिससे बिहार के अन्य बच्चों को भी इस योजना का लाभ मिल सके। (8) किलकारी के वार्षिक आयोजन - बाल दिवस, राष्ट्रीय बाल रंग महोत्सव, समर कैंप, बालश्री, राष्ट्रीय बाल लोक नृत्य महोत्सव आदि का योजना। (9) टाटा दोरबजी के फंड से पटना के 10 सरकारी विद्यालयों में तथा अन्य जिलों कैमूर, सहरसा, गया मुजफ्फरपुर, छपरा, दरभंगा धरहरा (भागपुर) में तीन-तीन घंटे बाल केन्द्र का संचालन। युनिसेफ के सहयोग से वैशाली जिले में बाल संसद परियोजना का संचालन।

क्र0 सं0	विपत्र कोड	स्कीम का नाम	वास्तविकी 2017-18	बजट 2018-19	पुनरीक्षित 2018-19	बजट 2019-20	स्कीम व्यय की प्रकृति	अभ्युक्ति (योजना की संक्षिप्त जानकारी)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	21-2202011020102	शिक्षा का अधिकार	6742.53	4000.00	4000.00	5000.00	राज्य स्कीम	शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के आलोक में प्रस्वीकृत निजी विद्यालयों में पढ़ाई कर रहें निर्धन तथा गरीब बच्चों के पढ़ाई हेतु राशि की प्रतिपूर्त्ति की जाती है।
4	21-2202017960211	सर्व शिक्षा अभियान	0.00	1403410.19	0.00	918.54	केन्द्र प्रायोजित स्कीम	नये विद्यालय भवनों का निर्माण, अतिरिक्त वर्ग कक्ष एवं शौचालय, शिक्षकों का प्रशिक्षण तथा 6 से 14 उम्र वालें सभी बच्चों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराया जाता है। नियोजित शिक्षकों के वेतनमान के फलस्वरूप उनका वेतन भी सर्व शिक्षा अभियान मद से कराया जाता है साथ ही इस अभियान द्वारा प्रारंभिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य सामग्री भी उपलब्ध करायी जाती है।
	21-2202017890203		70317.25		149346.77	122992.92		
	21-2202011110201		185479.75		505245.98	537368.04		
	21-2202011110301		535814.79		118410.18	150142.81		
	21-2202017890308		40000.00		100940.97	81995.28		
	21-2202017960309		8031.15		19059.03	17861.33		
5	21-2202011090101	मुख्यमंत्री पोशाक योजना (सामान्य कोटि)	17846.88	25000.00	25000.00	10000.00	राज्य स्कीम	मुख्यमंत्री पोशाक योजना अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनूरत सामान्य कोटि के छात्र/छात्राओं के पोशाक के लिए कक्षा 1 से 2 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को 400/-वार्षिक, कक्षा 3 से 5 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को 500/- वार्षिक, तथा कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को 700/-वार्षिक उपलब्ध कराया जाता है ताकि अध्ययनरत सभी छात्र/छात्राओं के बीच समानता का भाव उत्पन्न हो सके।
6	21-2202017890102	मुख्यमंत्री पोशाक योजना (अनुसूचित जाति)	3499.57	6000.00	6000.00	3000.00	राज्य स्कीम	मुख्यमंत्री पोशाक योजना अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनूरत अनुसूचित जाति एंव अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं के पोशाक के लिए कक्षा 1 से 2 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को 400/-वार्षिक, कक्षा 3 से 5 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को 500/- वार्षिक, तथा कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को 700/-वार्षिक उपलब्ध कराया जाता है ताकि अध्ययनरत सभी छात्र/छात्राओं के बीच समानता का भाव उत्पन्न हो सके।
7	21-2202011090102	मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना	13067.11	15000.00	15000.00	12500.00	राज्य स्कीम	मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनूरत छात्राओं के पोशाक के लिए कक्षा 1 से 2 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को 400/-वार्षिक, कक्षा 3 से 5 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को 500/- वार्षिक, तथा कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को 700/-वार्षिक उपलब्ध कराया जाता है ताकि अध्ययनरत सभी छात्र/छात्राओं के बीच समानता का भाव उत्पन्न हो सके।
8	21-2202011090103	मध्य विद्यालय के छात्रों का परिभ्रमण	5639.00	3000.00	3000.00	3000.00	राज्य स्कीम	छात्र/छात्राओं को अपने राज्य के ऐतिहासिक, भौगोलिक एवं अन्य महत्वपूर्ण जगहों की जानकारी प्रदान करने के लिए प्रत्येक प्राथमिक, मध्य एवं कन्या विद्यालय को प्रति वर्ष 20,000/- रू0 शैक्षणिक परिभ्रमण हेतु उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना से छात्र/छात्राओं का शैक्षणिक-सह-मानसिक विकास होता है।

क्र0 सं0	विपत्र कोड	स्कीम का नाम	वास्तविकी 2017-18	बजट 2018-19	पुनरीक्षित 2018-19	बजट 2019-20	स्कीम व्यय की प्रकृति	अभ्युक्ति (योजना की संक्षिप्त जानकारी)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	21-2202021070105	मुख्यमंत्री बालक साईकिल योजना (सामान्य कोटि)	11642.91	15000.00	15000.00	15097.34	राज्य स्कीम	माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत मुख्यमंत्री बालक साईकिल योजना के तहत माध्यमिक विद्यालयों के वर्ग नवंम में अध्ययनृरत सामान्य कोटि के बालकों को विद्यालय जाने हेतु प्रति छात्र 2,500/-राशि उपलब्ध करायी जाती है ताकि दूर दराज के बच्चे भी विद्यालय पहूंच सको इस योजना से खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षणिक वातावरण का निर्माण हुआ है। तथा समय अपव्यय से रहित हो अध्ययन की ओर अधिकाधिक उनमुख हुए है।
10	21-2202027890101	मुख्यमंत्री बालक साईकिल योजना (अनुसूचित जाति)	2964.43	2500.00	2500.00	4800.00	राज्य स्कीम	माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत मुख्यमंत्री बालक साईकिल योजना के तहत माध्यमिक विद्यालयों के वर्ग नवंम में अध्ययनृरत अनुसूचित जाति के बालकों को विद्यालय जाने हेतु प्रति छात्र 2,500/-राशि उपलब्ध करायी जाती है ताकि दूर दराज के बच्चे भी विद्यालय पहूंच सको इस योजना से खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षणिक वातावरण का निर्माण हुआ है। तथा समय अपव्यय से रहित हो अध्ययन की ओर अधिकाधिक उनमुख हुए है।
11	21-2202021070106	मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना	13174.92	17400.04	15900.04	15719.14	राज्य स्कीम	माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना के तहत माध्यमिक विद्यालयों के वर्ग नवम् में अध्ययनरत सभी जाति के बालिकाओं को विद्यालय जाने हेतु प्रति छात्र 2,500/-राशि उपलब्ध करायी जाती है ताकि दूर दराज के बच्चे भी विद्यालय पहूंच सको इस योजना से खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षणिक वातावरण का निर्माण हुआ है तथा समय अपव्यय से रहित हो अध्ययन की ओर अधिकाधिक उनमुख हुए है।
	21-2202027890102		3063.86		2600.00	5000.00		
12	21-2202021070107	मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना	12005.42	15600.00	42900.00	12687.00	राज्य स्कीम	मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना अन्तर्गत माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनृरत सभी कोटि के छात्राओं के पोशाक के लिए कक्षा 9 से 12 तक के छात्राओं को 1000/- वार्षिक उपलब्ध कराया जाता है ताकि अध्ययनरत सभी छात्र/छात्राओं के बीच समानता का भाव उत्पन्न हो सके।
	21-2202031070104					3400.00		
	21-2202027890104					2996.00		

क्र0 सं0	विपत्र कोड	स्कीम का नाम	वास्तविकी 2017-18	बजट 2018-19	पुनरीक्षित 2018-19	बजट 2019-20	स्कीम व्यय की प्रकृति	अभ्युक्ति (योजना की संक्षिप्त जानकारी)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	21-2202021070108	मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना	12754.20	16200.00	16200.00	12478.00	राज्य स्कीम	मैट्रिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण प्रत्येक छात्रा को रू0 10,000/- प्रोत्साहन राशि के रूप में उपलब्ध कराया जाता है ताकि वे उच्च शिक्षा प्राप्त करने की दिशा में उन्मुख हो सके एवं अंतरस्नात्तक की पढ़ाई भी इस योजना द्वारा कर सके और इसके लिए वे परिवार पर आंशिक रूप से ही निर्भर रहें।
14	21-2202027960309 21-2202021090207 21-2202021090307 21-2202021090312 21-2202027890207 21-2202027960209 21-2202027890206 21-2202027890306 21-2202027890307	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	18850.68	41666.66	21800.00	55000.00	केन्द्र प्रायोजित स्कीम	नया माध्यमिक विद्यालय खोलना, भवन, वर्ग कक्ष एवं शौचालन का निर्माण तथा शिक्षकों का प्रशिक्षण तथा बच्चों को माध्यमिक स्तर की गुणवता पूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाना सम्मिलित है।
15	21-4202012020103	राजकीय एवं राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालय के भवन निर्माण	56013.68	8000.00	13695.65	25850.20	राज्य स्कीम	आर्थिक रूप से पिछड़े प्रत्येक प्रखंड में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु बालिका छात्रावास का निर्माण एवं प्रत्येक प्रखंड में केन्द्रीय विद्यालय के तर्ज पर मॉडल स्कूल विकसित किया जा रहा है।
	21-4202017890101				5304.35	4159.80		
	21-4202012020109				3000.00	10000.00		
16	21-4202012030207	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान	4436.66	6000.00	6000.00	2000.00	केन्द्र प्रायोजित स्कीम	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान द्वारा महाविद्यालयों के विकास आदि में राशि व्यय की जाती है।
	21-2202031020323				2516.43	400.00		
17	21-2202021090105	आई0 सी0 टी0 परियोजना	6568.02	100.00	100.00	100.00	राज्य स्कीम	कक्षा 09 से 12 तक के छात्र/छात्राओं को कम्प्यूटर शिक्षा उपलब्ध करायी जाती है।

क्र0 सं0	विपत्र कोड	स्कीम का नाम	वास्तविकी 2017-18	बजट 2018-19	पुनरीक्षित 2018-19	बजट 2019-20	स्कीम व्यय की प्रकृति	अभ्युक्ति (योजना की संक्षिप्त जानकारी)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	21-2204001010103	मध्य विद्यालय की बालिकाओं को कराटे प्रशिक्षण हेतु अनुदान	0.00	0.01	0.01	0.00	राज्य स्कीम	मध्य विद्यालयों को कराटे प्रशिक्षण हेतु अनुदान दिया जाता हे।
19	21-2204001010108	बिहार सवजूनियर स्पोंटस मीट तरंग	80.00	0.00	0.00	0.01	राज्य स्कीम	जूनियर बालक/बालिकाओं के लिए स्पोर्टस हेतु सवजूनियर स्पोर्टस मीट तरंग कार्यक्रम हेतु अनुदान दी जाती है।
20	21-2202020040102	हुनर	0.00	0.00	1000.00	1000.00	राज्य स्कीम	राज्य सरकार की इस योजना के द्वारा डोमेन स्कीलिंग तहत माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत छात्र/छात्राओं में हुनर का विकास किया जा रहा है।
21	21-2202020520103	उन्नयन कार्यक्रम	0.00	0.00	2000.00	2000.00	राज्य स्कीम	इस कार्यक्रम के द्वारा ऑन लाईन अध्ययन की सुविधा स्मार्ट क्लास तथा अन्य तकनीकि सुविधाओं से युक्त विद्यालय को सुसज्जित कर छात्र/छात्राओं को गुणवता पुर्ण अध्ययन कराने की योजना है।
22	21-2202031070108	मुख्यमंत्री बालिका (इंटरमीडिएट उर्त्तीण) प्रोत्साहन योजना	0.00	0.00	25000.00	27484.00	राज्य स्कीम	मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना द्वारा संचालित शिक्षा विभाग अन्तर्गत मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना (इंटरमीडिएट उत्तीर्ण) के तहत अंतर स्नात्तक उत्तीर्ण बालिकाओं को प्रोत्साहन के रूप में राशि RTGS द्वारा उनके खाते में उपलब्ध करायी जाती है।
23	21-2202031070109	मुख्यमंत्री बालिका स्नात्तक उर्त्तीण (प्रोत्साहन योजना)	0.00	0.00	30000.00	20000.00	राज्य स्कीम	मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना द्वारा संचालित शिक्षा विभाग अन्तर्गत मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना (स्नात्तक उत्तीर्ण) के तहत स्नात्तक उत्तीर्ण बालिकाओं को प्रोत्साहन के रूप में राशि RTGS द्वारा उनके खाते में उपलब्ध करायी जाती है।
24	21-2202011090105	प्रारंभिक विद्यालयों मे छात्रवृत्तियॉ	8802.72	12500.00	12500.00	12500.00	राज्य स्कीम	प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनूरत सभी कोटि के छात्र/छात्राओं के छात्रवृत्ति के लिए कक्षा 1 से 4 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को 50/-प्रति माह अर्थात 600/-वार्षिक, कक्षा 5 से 6 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को 100/- प्रति माह अर्थात 1200/- वार्षिक, तथा कक्षा 7 से 8 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को 150/-प्रति माह अर्थात 1800/-वार्षिक उपलब्ध कराया जाता है ताकि वें अध्ययन के लिए आवश्यक पाठ्य सामग्री क्रय कर सके।

क्र0 सं0	विपत्र कोड	स्कीम का नाम	वास्तविकी 2017-18	बजट 2018-19	पुनरीक्षित 2018-19	बजट 2019-20	स्कीम व्यय की प्रकृति	अभ्युक्ति (योजना की संक्षिप्त जानकारी)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	21-2202021090109	किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम योजना	0.00	0.00	8000.00	6000.00	राज्य स्कीम	इस योजना द्वारा 12 वर्ष से अधिक उम्र की विद्यालयों में नामांकित सभी बालिकाओं को प्रजनन स्वास्थ्य के संबंध में सामान्य जानकारी एवं माहवारी स्वास्थ्य तथा प्रबंधन के संबंध में विशिष्ट जानकारी प्रदान की जा रही है। साथ ही माहवारी चक्र के दौरान स्वच्छता सुनिश्चित करने हेतु आवश्यकतानुसार शिक्षिकाओं के माध्यम से सैनिटरी नैपकिन क्रय करने हेतु 300/-प्रति वर्ष उपलब्ध कराकर उसके निस्तार के संबंध में जानकारी दी जा रही है। बिहार सरकार की इस योजना ने लड़कियों के मस्तिष्क से रूढ़िवादिता, जड़ता एवं संकोचपन बहुत हद तक दूर कर दिया है।
26	21-2202021090110	मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना	0.00	0.00	5000.00	1150.00	राज्य स्कीम	मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना के अन्तर्गत राजकीय/राजकीकृत/गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) माध्यमिक विद्यालयों के छात्र-छात्राओं के शैक्षिक परिभ्रमण हेतु प्रति विद्यालय 20,000/-(बीस हजार रू0) मात्र की दर से प्रत्येक विद्यालय को उपलब्ध कराती है। सरकार के इस योजना का उद्देश्य छात्र/छात्राओं में शैक्षणिक, व्यवहारिक एवं मानसिक ज्ञान में संतुलन बढ़ाना है। ऐतिहासिक, भौगोलिक एंव पौराणिक स्थलों के भ्रमण से उनमें आत्मविश्वास ज्ञान का बहुत अधिक विकास हो रहें है।
27	21-2202021090211	छात्र पुलिस कैडेट कार्यक्रम	0.00	0.00	531.54	0.00	केन्द्र प्रायोजित स्कीम	समाज में निर्भिक वातावरण बनाने हेतु, स्वच्छता कार्यक्रम को बढ़ावा देने एवं सामाजिक चेतना फैलाने हेतु राजकीय माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों को चयनित कर उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है।
28	21-2202021090311		0.00	0.00	354.36	0.00		
29	21-2202047890101	महादलित/दलित को विद्यालयी शिक्षा से जोड़ने की योजना	31836.84	0.00	29693.85	30000.00	राज्य स्कीम	अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए 20 वर्ष से उपर पुरूष एवं महिलाओं में साक्षरता दर बढ़ाने हेतु सरकार कृत संकलपित है और इनमें व्यय हेतु राशि आवंटित की जाती है।
30	21-2202042000304	राष्ट्रीय शिक्षा मिशन (साक्षर भारत)	0.00	0.00	7000.30	0.00	केन्द्र प्रायोजित स्कीम	अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए 20 वर्ष से उपर पुरूष एवं महिलाओं में साक्षरता दर बढ़ाने हेतु सरकार कृत संकलपित है और इनमें व्यय हेतु राशि आवंटित की जाती है।
	21-2202042000204		0.00	0.00	15.00	0.00		
31	21-2202031120101	बिहार स्टूडेंट क्रेडिट स्कीम	0.00	0.00	14800.00	0.00	राज्य स्कीम	मुख्यमंत्री के सात निश्चय अन्तर्गत मेधावी छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु आर्थिक आभाव से निपटने के लिए राज्य सरकार उन प्रतिभाशाली छात्र/छात्राओं को बिहार स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड बनाने हेतु बेलट्रॉन या अन्य को राशि आवटित करने का प्रस्ताव है।
32	21-2202031130101	बिहार स्टूडेंट क्रेडिट स्कीम	250.00	0.00	0.00	200.00		मुख्यमंत्री के सात निश्चय अन्तर्गत मेधावी छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु आर्थिक आभाव से निपटने के लिए राज्य सरकार उन प्रतिभाशाली छात्र/छात्राओं को बिहार स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड बनाने हेतु बेलट्रॉन या अन्य को राशि आवटित करने का प्रस्ताव है।

क्र0 सं0	विपत्र कोड	स्कीम का नाम	वास्तविकी 2017-18	बजट 2018-19	पुनरीक्षित 2018-19	बजट 2019-20	स्कीम व्यय की प्रकृति	अभ्युक्ति (योजना की संक्षिप्त जानकारी)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	21-2202011120104	मध्याह्न भोजन योजना	0.00	0.00	0.00	32550.20	राज्य स्कीम	सरकारी विद्यालयों में बच्चों को पोषणयुक्त आहार के लिए कक्षा 1 से 8 तक के सभी कोटि के छात्र/छात्राओं को पका पकाया भोजन उपलब्ध कराया जाता है। जिससे सभी छात्र/छात्राओं के बीच समानता की भावना विकसित होती है तथा साथ ही उनमें स्वस्थ्य मानसिक एवं शारीरिक क्षमता का विकास होता है।
34	21-2202021030101	बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड	600.00	0.00	500.00	100.00	राज्य स्कीम	बच्चे जो नियमित पढ़ाई नहीं कर पाते है इसके लिए सरकार ने बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड की स्थापना की है ताकि बच्चे घर बैठे पढ़ाई करते हुए मैट्रिक एंव अंतर स्नात्तक डिग्री प्राप्त कर सके और वे उच्च डिग्री प्राप्त करने हेतु योग्यता हासिल कर सके और सरकारी नौकरी एवं स्वरोजगार के क्षेत्र में अपना कदम बढ़ा सके।
35	21-4202012010105	प्रारंभिक विद्यालय भवन निर्माण	0.00	0.00	0.00	20000.00	राज्य स्कीम	वित्तीय वर्ष 2019-20 में एक भी प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय शौचालय एवं नलकूप/चापाकल राहित न हो इसके लिए मुख्य निर्माण कार्य मद में 20,000 लाख रू० का उपबंध कराया है। जिसके फलस्वरूप प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में अध्ययन कर रहे बालक एवं बालिकाओं को मूलभूत सुविधा प्राप्त हो सके।
36	21-4202012020112	शिक्षा भवन निर्माण	0.00	0.00	0.00	300.00	राज्य स्कीम	प्रत्येक जिला में एक शिक्षा भवन का निर्माण हेतु क्रमवार जिलो का चयन करते हुए शिक्षा भवन निर्माण की योजना है ताकि माध्यमिक/उच्च माध्यमिक में अध्ययनरत बालकों एवं बालिकाओं को इस निर्मित शिक्षा भवन में समस्याओं से निजात दिलाया जा सके ।
37	21-4202012020113	सिमुलतल्ला आवासीय विद्यालय	0.00	0.00	0.00	200.00	राज्य स्कीम	सिमुलतल्ला आवासीय विद्यालय में वर्ग छः से मैट्रिक तक पढाई कराई जाती है उसे मूलभूत सुविधाओं से उक्त तथा जीर्ण शीर्ण विद्यालय की मरम्मति एवं कक्ष का निर्मार्ण आदि हेतु शीर्ष में राशि उपबंधित कराई गई है ताकि छात्र प्रतिभायुक्त होकर अपने गांव अपने जिला और अपने राज्य का नाम उँचा कर सके।
38	21-4202012020114	मॉडल स्कूल	0.00	0.00	0.00	10.00	राज्य स्कीम	प्रमंडलीय स्तर पर मॉडल स्कूल की स्थापना हेतु विद्यालयों को चिन्हित करते हुए उसे अधिकाधिक सुविधाजनक बनाने हुए कार्य किया जा रहा है।
39	21-2202011090004	प्रोत्साहन हेतु विद्यालयों में उत्सव	0.00	0.01	0.01	0.00	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	प्रारंभिक विद्यालयों में वार्षिक परीक्षोपरांत कक्षा 1 से 8 में अध्ययनूरत्त छात्र/छात्राओं के बीच शैक्षणिक माहौल हेतु कार्यक्रम आयोजित की जाती है और उसमें उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं को प्रोत्साहन दिया जाता है।
		योग :-	**1251143.54**	**1808923.14**	**1364202.21**	**1473501.69**		

बाल कल्याण योजनाओं के लिए बजट प्रावधान-विभागवार विवरणी

समाज कल्याण विभाग

(राशि लाख रुपये में)

क्र० सं०	विपत्र कोड	स्कीम का नाम	वास्तविकी 2017-18	बजट 2018-19	संशोधित बजट अनुमान 2018-19	बजट 2019-20	स्कीम लक्ष्य की प्रकृति	अभियुक्ति/ स्कीम की संक्षिप्त जानकारी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	51-2235021020222	आई.सी.डी.एस. स्थापना (केन्द्रांश:राज्यांश 25:75/60:40)	37948.43	63407.41	39158.17	85415.65	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम	38 जिला प्रोग्राम कार्यालय, 544 बाल विकास परियोजना की स्थापना का संधारण एवं कुल स्वीकृत 114718 ऑगनबाड़ी केन्द्रों (मिनी सहित) का संधारण किया जाना है।
	51-2235021020322		36612.61	16258.19	41554.71	25324.52		
2	51-2236021010203	पूरक पोषाहार (केन्द्रांश:राज्यांश 50:50)	42494.82	70854.16	56010.62	75836.17	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम	पूरक पोषाहार के तहत सभी 6 माह से 6 वर्ष तक के सामान्य कुपोषित/ अतिकुपोषित बच्चों एवं सभी गर्भवती/ धातृ महिलाओं को लाभान्वित किया जाना है।
	51-2236027890204		9822.12	56270.69	14739.63	52091.04		
	51-2236021010303		17860.51	0.01	51300.01	0.01		
	51-2236027890304		42766.99	26815.79	26815.79	37542.43		
	51-2236027960305		8377.27	10546.15	10546.15	7550.00		
3	51-2235021020224	किशोरियो के लिए योजना (केन्द्रांश:राज्यांश 60:40/50:50)	2742.76	0.00	3033.67	3951.76	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम	राज्य के सभी जिलों में स्कूल नहीं जाने वाली 11-14 वर्ष की किशोरी बालिकाओं को ऑगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से प्रशिक्षण इत्यादि तथा पूरक पोषाहार प्रदान किया जाना है।
	51-2235021020324		2081.15					
	51-2235027890312		586.89					
4	51-4235021020208	ऑगनबाड़ी केन्द्र भवन निमार्ण एवं उत्क्रमणन (केन्द्रांश:राज्यांश 60:40)	1029.00	17968.21	2900.46	3082.70	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम	मनरेगा के Convergance से ऑगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण किया जाना है। इसके अतिरिक्त ऑगनबाड़ी केन्द्रों में पेयजल सुविधा, शौचालय निर्माण एवं ऑगनबाड़ी केन्द्र भवनों का उत्क्रमण किया जाना है।
	51-4235021020308		621.58	1380.01	2775.77	0.02		
5	51-2235021020225	राष्ट्रीय पोषाहार मिशन (केन्द्रांश:राज्यांश 60:40)	0.00	7200.00	6440.65	19816.52	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम	राज्य के सभी जिलों के ऑगनबाड़ी केन्द्रों (मिनी सहित) के लाभार्थियों को क्रमिक क्षमता विकास, अन्नप्राशन एवं गोदभराई कार्यक्रम किया जाना है।
	51-2235021020325		0.00	1900.00	3294.99	3303.00		

क्र० सं०	विपत्र कोड	स्कीम का नाम	वास्तविकी 2017-18	बजट 2018-19	संशोधित बजट अनुमान 2018-19	बजट 2019-20	स्कीम लक्ष्य की प्रकृति	अभियुक्ति/ स्कीम की संक्षिप्त जानकारी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	51-2235021020226	राष्ट्रीय क्रेच स्कीम (केन्द्रांश:राज्यांश 60:40)	0.00	60.00	0.00	60.00	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम	आँगनबाड़ी केन्द्रों में कामकाजी महिलाओं के बच्चों को सही पालन-पोषण हेतु राष्ट्रीय क्रेच स्कीम का प्रावधान किया जाना है।
	51-2235021020326		0.00	20.00	0.00	30.00		
7	51-2235021020117	ऑगनबाड़ी केन्द्र के बच्चों के लिए पोशाक योजना (राज्य स्कीम 100:)	6549.84	7969.79	10674.84	10674.84	राज्य स्कीम	कुल स्वीकृत 114718 आँगनबाड़ी केन्द्र (मिनी सहित) के स्कूल पूर्व शिक्षा के बच्चें को रू.400/- की दर से पोशाक प्रदान किये जाने का प्रावधान है।
	51-2235027890103		2007.23	2656.60	3558.28	3558.28		
8	51-2235021030111 51-2235027890109	मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना	0.00	5110.63	0.00	0.00	राज्य स्कीम	वर्त्तमान में इस योजना का क्रियान्वयन अन्य योजना द्वारा किया जा रहा है।
9	51-2235021020116	परवरिश	1500.00	1500.00	1791.00	1900.00	राज्य स्कीम	अनाथ एवं बेसहारा बच्चों, दु:साध्य रोगों यथा एच0आई0वी0 एड्स एवं कुष्ठ रोगों से पीड़ित बच्चों तथा इन रोगों के कारण दिव्यांग बच्चों के माता पिता को संतान के बेहतर पालन पोषण हेतु अनुदान प्रदान किया जाता है।
10	51-2235021020323	समेकित बाल संरक्षण योजना	2800.00	1833.33	4212.00	1900.00	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम	राज्य बाल संरक्षण समिति की स्थापना, बाल गृह, बालिका गृह, राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण इत्यादि का संचालन किया जाता है।
	51-2235021020223		2777.86	5500.00	5500.00	8000.00		
11	51-2235021060106	बाल दोषी अनाथ एवं निराश्रित बच्चों के लिए विशेष योजना (बाल संरक्षण इकाई)	795.20	1500.00	1500.00	1700.00	राज्य स्कीम	राज्य एवं जिला बाल सरंक्षण इकाई की स्थापना।

क्र० सं०	विपत्र कोड	स्कीम का नाम	वास्तविकी 2017-18	बजट 2018-19	संशोधित बजट अनुमान 2018-19	बजट 2019-20	स्कीम लक्ष्य की प्रकृति	अभियुक्ति/ स्कीम की संक्षिप्त जानकारी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	51-2235021060107	बाल न्यायालय एवं बाल कल्याण बोर्ड की स्थापना (बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग)	62.00	200.00	350.00	430.00	राज्य स्कीम	बिहार राज्य बाल संरक्षण आयोग की स्थापना।
13	03-4235020510104	पर्यविक्षण गृह एवं बालगृह का निर्माण	10.00	0.00	5.00	5.00	राज्य स्कीम	पर्यवक्षण गृह एवं बालगृह का निर्माण।
योगः-			**219446.26**	**298950.97**	**286161.74**	**342171.94**		

बाल कल्याण योजनाओं के लिए बजट प्रावधान- विभागवार विवरणी
श्रम संसाधन विभाग

(राशि लाख रुपये में)

क्र० सं०	विपत्र कोड	परियोजना	वास्तिविकी 2017-18	बजट 2018-19	संशोधित बजट 2018-19	बजट 2019-20	स्कीम व्यय की प्रकृति	अभ्युक्ति (स्कीम की संक्षिप्त जानकारी)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	26-2230011030103 26-2230017890104 26-2230017960102	बाल श्रमिक पुर्नवास तंत्र का सुदृढ़ीकरण	188.37	302.89	302.89	259.45	राज्य स्कीम	बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 की धारा-3 के अनुसार 18 व्यवसायों एवं 65 प्रकियाओं में 14 वर्ष से कम उम्र के बाल श्रमिकों का नियोजन प्रतिबंधित है। बाल श्रम उन्मूलन हेतु पूरे राज्य में धावा दल के माध्यम से सघन अभियान चलाकर बाल श्रमिकों का विमुक्ति जारी है। विमुक्ति के समय प्रत्येक बाल श्रमिक को एक माह का राशन हेतु रू 2300/-(दो हजार तीन सौ), वस्त्र हेतु 500/- (पॉच सौ), आवश्यकतानुसार अहार पथ्य हेतु रू 100/-(एक सौ) एवं दवा हेतु 100/-(एक सौ) अर्थात कुल 3000/- (तीन हजार) का भुगतान किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एम०सी०मेहता वनाम तमिलनाडु सरकार में दिये गये दिशा निर्देश के अनुसार प्रति विमुक्त बाल श्रमिक को रू 5000/- की दर से जिलों में स्थापित बाल श्रमिक पुर्नवास-सह-कल्याण कोश में राशि जमा कराया जा रहा है। नियोजक द्वारा 20,000/- बाल श्रमिक पुर्नवास-सह-कल्याण कोष में जमा किया जाता है। बाल श्रमिकों के पुनर्वास प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए CLTS (Child Labour Tracking System) नामक साफ्टवेयर लॉंच किया गया है साथ ही प्रत्येक विमुक्त कराये गये बाल श्रमाकों को मुख्यमंत्री राहत कोष से रू. 25000/- प्रति विमुक्त बाल श्रमिक को राशि उपलब्ध कराने की कार्रवाई भी की जा रही है। इस योजना के कार्यान्वयन में सहयोग हेतु एक वहॉट्स एप्प नं0-9471229133 जारी किया गया है

क्र० सं०	विपत्र कोड	परियोजना	वास्तिविकी 2017-18	बजट 2018-19	संशोधित बजट 2018-19	बजट 2019-20	स्कीम व्यय की प्रकृति	अभ्युक्ति (स्कीम की संक्षिप्त जानकारी)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	26-2235012020107	विमुक्त बाल श्रमिकों के शैक्षणिक/ व्यावसायिक पुनर्वास हेतु विशेष आवासीय केन्द्रों का संचालन	0.00	0.00	493.22	493.22	राज्य स्कीम	राज्य में विमुक्त बाल श्रमिकों के शैक्षणिक एवं व्यवसायिक पुनर्वास हेतु विशेष आवासीय प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन निविदा के माध्यम से चयनित गैर सरकारी संगठनों से राये जाने का निर्णय लिया गया है । गैर सरकारी संगठनों को केन्द्र खोलने की तिथ से प्रथम तीन वर्षों के लिए केन्द्र संचालन की अनुमति दी गई है। विशेष आवासीय प्रशिक्षण केन्द्रों में बाल श्रम से विमुक्त 6 से 14 साल के बचों को 18 वर्ष की आयु पूरी होने तक रखा जायेगा । इन बचों को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् ही इन केन्द्रों में रखा जाना है । यह केन्द्र आवासीय है एवं विमुक्त बाल श्रमिकों को मुख्य धारा के विद्यालयों से जोड़ने से पहले उनके शैक्षणिक स्थिति के अनुसार ब्रिज कोर्स संबंधित केन्द्र द्वारा उपलब्ध कराया जाना है । साथ ही अगर विमुक्त बाल श्रमिक व्यवसायिक शिक्षा में रूचि रखता हो तो ऐसे बाल श्रमिकों को 15 वर्ष की आयु पूरी कर लेने के पश्चात् कौशल प्रशिक्षण के कार्यक्रमों से जोड़ा जायेगा । इन केन्द्रों में विमुक्त बाल श्रमिकों के सभी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है । उन्हें स्वस्थ्य एवं सुरक्षित बचपन दिया जाना हैं एवं उनके सर्वागीण विकास पर बल दिया जाना है । राज्य में विशेष आवासीय प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालन हेतु गया, नवादा, नालंदा, पटना, बांका, सीतामढ़ी एवं जमुई को पायलट जिलें में रूप में चयन किया गया था एवं सम्प्रति पटना, गया, जमुई एवं बांका जिलें में विशेष आवासीय प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन हेतु किया जा रहा है ।
		योग-	**188.37**	**302.89**	**796.11**	**752.67**		

बाल कल्याण योजनओं के लिए बजट प्रावधान-विभागवार विवरणी
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग

(राशि लाख रुपये में)

क्र० सं०	विपत्र कोड	स्कीम का नाम	वास्तिविकी 2017-18	बजट 2018-19	संशोधित बजट अनुमान 2018-19	बजट 2019-20	स्कीम व्यय की प्रकृति	अभ्युक्ति (योजना की संक्षिप्त जानकारी)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	44-2225011970101 44-2225011980101 44-2225012770107 44-2225021970101 44-2225021980101 44-2225022770101 44-2225011970001 44-2225011970002 44-2225011980001 44-2225012770007 44-2225012770222 44-2225022770214	अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति के लिए विद्यालय स्तर पर छात्रवृति योजना	25637.44	47899.00	47899.00	47899	राज्य स्कीम/ केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम/ स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	वर्ग 1 से 10 तक विद्यालय में पढ़ने वाले अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति के छात्र/छात्राओं को शिक्षा विभाग के माध्यम से 75 प्रतिशत उपस्थिति के आधार पर विभिन्न दरों पर छात्रवृति देने का प्रावधान है। मुशहर /भुईयॉ के बच्चों को वर्ग 1 से 6 तक के बच्चों को उच्चतर दर पर छात्रवृति देने का प्रावधान है । अस्वच्छ कार्य में लगे लोगो के बच्चों को भी छात्रवृति देने का प्रावधान है। वर्ष 2017-18 से छात्रवृति आवंटन एवं वितरण कार्य शिक्षा विभाग के माध्यम से किया जा रहा है।
2	44-2225022770214	मेरिट उन्नयन योजना	0.00	10.00	10.00	10.00	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम	9वीं एवं 12वीं छात्र/छात्राओं के लिए कोचिंग की व्यवस्था की जाती है।
3	44-2225012770107 44-2225022770101	मुख्यमंत्री अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति मेद्यावृति छात्रवृति	7039.74	7120.00	11429.56	11900.00	राज्य स्कीम	बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा मैट्रिक प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को ₹10000/- रु0.एवं ₹8000/- मेधावृत्ति उपलब्ध कराया जाता है।

क्र० सं०	विपत्र कोड	स्कीम का नाम	वास्तिविकी 2017-18	बजट 2018-19	संशोधित बजट अनुमान 2018-19	बजट 2019-20	स्कीम व्यय की प्रकृति	अभ्युक्ति (योजना की संक्षिप्त जानकारी)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	44-2225012770011 44-2225022770001	परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति	85.00	85.00	85.00	85.00	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना परीक्षा शुल्क से छूट के फलस्वरूप हुई क्षति की राशि का भुगतान किया जाता है।
5	44-2225012770003 44-2225022770004 44-2225012770106	आवासीय विद्यालय संधारण	9948.79	14537.15	14462.74	16191.84	राज्य स्कीम/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	85 आवासीय विद्याालयें में निःशुल्क शिक्षा दी जाती है ।
6	44-2225012770002 44-2225022770003	छात्रावास संधारण	645.22	1170.52	1150.52	1109.84	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	138 छात्रावासों में आवासन की सुविधा दी जाती है ।
7	44-2225012770101	छात्रावासों में फर्नीचार एवं उपकरणें की आपूर्ति	754.84	0.00	1850.00	2371.00	राज्य स्कीम	आवासीय विद्यालय एवं छात्रावासों में चौकी, दरी, वाटर प्युरिफायर, कुर्सी, टेबुल, अलमारी आदि आपूर्ति, छात्रावासों में खद्यान्न आपूर्ति तथा मुख्यमंत्री अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति छात्रावास अनुदान योजना के तहत छात्रावासों में रहने वाले छात्र/छात्राओं को प्रति माह ₹1000/- की दर से छात्रावास अनुदान दिया जाता है।
योग			**44111.03**	**70821.67**	**76886.82**	**79566.68**		

बाल कल्याण योजनओं के लिए बजट प्रावधान-विभागवार विवरणी

स्वास्थ्य विभाग

(राशि लाख रुपये में)

क्र० सं०	विपत्र कोड	स्कीम का नाम	वास्तिविकी 2017-18	बजट 2018-19	संशोधित बजट 2018-19	बजट 2019-20	स्कीम व्यय की प्रकृति	अभ्युक्ति (स्कीम की संक्षिप्त जानकारी)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	20-210012000209 20-210031100203 20-210012000309 20-210031100303	राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम	2161.64	13475.85	13475.85	3735.29	केन्द्र प्रायोजित स्कीम (केन्द्रांश एवं राज्यांश)	इन नये कार्यक्रम के अंतर्गत 0-18 वर्ष के बालक एवं बालिकाओं के स्वास्थ्य परीक्षण के क्रम में जन्मजात दोषों, विकासात्मक कमी वाले बच्चों सामान्य बीमारियों से ग्रसित बच्चों एंव सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के चलते बीमार बच्चों की सरकारी खर्च पर चिकित्सा एवं शल्य-चिकित्सा सम्पन्न किया जाना है।
2	20-210012000209 20-210031100203 20-210012000309 20-210031100303	संस्थान आधारित नवजात शिशु देखभाल इकाई	354.08	561.88	561.88	3876.80	राज्य स्कीम	बीमार नवजात शिशुओं की देखभाल हेतु जिला अस्पताल से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर SNCU/NBSU/NBCC की स्थापना की जा रही है।
3	20-210012000209 20-210031100203 20-210012000309 20-210031100303	नवजात शिशु की घर पर देखभाल	2822.67	4000.00	4000.00	7656.52	राज्य स्कीम	नवजात शिशु एवं प्रसूता माँ की देखभाल हेतु गृह भ्रमण के जरिये आशा कार्यकर्त्ता द्वारा सेवा दी जा रही है। जच्चा-बच्चा के बीमारी की अवस्था में आशा द्वारा स्वास्थ्य संस्थान में भर्ती कराया जाता है, जहाँ उचित इलाज देकर सेवा प्रदान की जाती है।

क्र० सं०	विपत्र कोड	स्कीम का नाम	वास्तिविकी 2017-18	बजट 2018-19	संशोधित बजट 2018-19	बजट 2019-20	स्कीम व्यय की प्रकृति	अभ्युक्ति (स्कीम की संक्षिप्त जानकारी)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	20-210012000209 20-210031100203 20-210012000309 20-210031100303	राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम	210.71	7078.57	1891.85	2673.84	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत 10-19 वर्ष के किशोर-किशोरियों को किशोर मित्र स्वास्थ्य क्लिनिक (AFHC) के माध्यम से प्रजनन स्वास्थ्य, मानसिक विकार, गैर-संचारित रोग एवं घरेलू हिंसा पर परामर्श दिये जाते है। Menstrual Hygiene कार्यक्रम के तहत् राज्य के 10 HPD जिलों में विद्यालय नहीं जाने वाली किशोरियों को सामाजिक विपणन (प्रति पैकेट रू0 6 मात्र) के माध्यम से Sanitary Napkin दिया जाएगा।
5	20-210012000209 20-210031100203 20-210012000309 20-210031100303	NRHM के अन्तर्गत पोषण पुर्नवास केन्द्र	661.78	1033.86	397.48	397.55	राज्य स्कीम	0-5 वर्ष वाले अति गंभीर कुपोषित बच्चों के उपचार/देखभाल हेतु राज्य के 38 जिलों में पोषण पुनर्वास केन्द्र संचालित है।
6	20-211001030102	मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना	0.00	0.00	28000.00	6682.00	राज्य स्कीम	राज्य में बालिका मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अंतर्गत बच्ची के जन्म के उपरांत टीकाकरण हेतु 2000 रुपया की दर से बच्ची के अभिभावक को लाभांवित किया जा रहा है।
		योग	**6210.88**	**26150.16**	**20327.06**	**18340.00**		

बाल कल्याण योजनाओं के लिए बजट प्रावधान- विभागवार विवरणी
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

(राशि लाख रुपये में)

क्र० सं०	विपत्र कोड	स्कीम का नाम	वास्तिविकी 2017-18	बजट 2018-19	संशोधित बजट 2018-19	बजट 2019-20	स्कीम व्यय की प्रकृति	अभ्युक्ति (योजना की संक्षिप्त जानकारी)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	30-2202021070210	अल्पसंख्यकों का बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (प्री-मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति)	0.00	100.00	0.00	100.00	केन्द्र प्रायोजित स्कीम	केन्द्र प्रायोजित प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति पूर्णतः केन्द्र पोषित योजना है । इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को पठन-पाठन में आर्थिक सहयोग करना है ।
2	30-2202021070109	मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना	4246.64	5100.00	3600.00	4000.00	राज्य स्कीम	मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना अंतर्गत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से मैट्रिक प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं एवं द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण अल्पसंख्यक (मुस्लिम) छात्र/छात्राओं तथा इंटरमीडिएट प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण अल्पसंख्यक (मुस्लिम) छात्राओं को प्रोत्साहन राशि दिया जाता है ।
3	30-2225042770101	राज्य पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	800.00	0.00	3280.00	2500.00	राज्य स्कीम	वित्तीय वर्ष 2017-18 से प्रारंभित राज्य पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत योग्य अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को लाभांवित किया जा रहा है।
		योग-	**4246.64**	**5200.00**	**3600.00**	**4100.00**		

Copyright 2019 Finance Department, Govt. of Bihar